राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जनपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकःएफ.4(1)(90)पोषा/S.H.G./ICDS/2013/ जयपुर, दिनांकः

परिपत्र

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल. रिट पीटीशन संख्या–196/2001 पी.यू.सी.एल. बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक–07.10.2004 को पारित आदेशों के क्रम में विभाग द्वारा समय समय पर आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को आर.टी.ई. पूरक पोषाहार एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चो को नाश्ता व अतिरिक्त पूरक पोषाहार स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विशा निर्देश जारी किये गये है।

इस क्रम में विभाग द्वारा विभिन्न चरणों में परियोजनाओं का चयन करते हुये अब तक कुल 222 बाल विकास परियोजनाओं में स्वयं सहायता समूहो के माध्यम से आर.टी.ई. पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये जा चुके है।

विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत चयनित परियोजनाओं में से कुछ बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा सक्षम स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं होने एवं अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों को उल्लेखित करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–22.04.2009 एवं 19.08.2011 को पारित आदेशों में वर्णित मापदण्डों में शिथिलता हेतु निदेशालय को पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि विभाग द्वारा समय–समय पर शपथ–पत्रों/आवेदन पत्रों के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशो में शिथिलता दिया जाना विभागीय स्तर पर सम्भव नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति बनाये रखना भी आवश्यक है। सक्षम स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं होने, उनके असफल होने एवं अन्य व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न होने की स्थिति में पुनः विभागीय निर्देशानुसार नवीन स्वयं सहायता समूहों का चयन/प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण करा कर उनसे पूरक पोषाहार की आपूर्ति सुनिश्चित करावें।

जिन परियोजनाओं में पूरक पोषाहार की आपूर्ति स्वयं सहायता समूहों द्वारा की जा रही है, उनमें संबंधित उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने भ्रमण के दौरान ऐसे पोषाहार के निर्माण स्थल का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा सकें। पूरक पोषाहार की उपलब्धता निरन्तर बनी रहे यह सुनिश्चित किया जावें, किसी भी स्थिति में पोषाहार के अभाव में आंगनबाड़ी केन्द्र सूखे (Dry) नहीं रहे।

विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से पूरक पोषाहार वितरण/आपूर्ति के संबंध में विभागीय नॉर्म्स व आदेश विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर Nutrition Folder में उपलब्ध है।

(एम.पी.स्वामी)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।

क्रमांकःएफ.4(1)(90)पोषा/S.H.G./ICDS/2013/51060-749 जयपुर, दिनांकः 12-6-13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (SHG) महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
8. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय को बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.एस.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)